न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 12/2025

प्रार्थी

01. विजयराज पुत्र गुलाबचंद जाति मोची निवासी मोचीवाड़ा, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0

बनाम

अप्रार्थीगण

01. जयप्रकाश पुत्र गणपतलाल
02. मनोज कुमार पुत्र गणपतलाल
03. रमेश कुमार पुत्र गणपतलाल तमाम जातिगण घांची निवासीगण आदेश्वर जैन मंदिर के पास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
04. सोहनलाल पुत्र शिवनाथ जाति खटीक निवासी पावटी का वास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
05. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा, श्री विशाल दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री किशन सोनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 उपस्थित।
03. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 04 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 23/06/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर आई हुई स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6298 रकबा 0.5000 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6299 रकबा 0.6200 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के मध्य हर समय माठ व धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर उतारू रहतें है तथा दोनों के मध्य माठों को लेकर व हिस्से को लेकर विवाद नहीं हो इस हेतु प्रार्थी अपनी स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि का माप एवं सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी करवाकर तारबंदी करवाना चाहता है, जिससे प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सुरक्षित रहे तथा फसल को किसी प्रकार का नुकसान इत्यादि कारित नहीं हो इसलिए उक्त खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी के जरिए पैमाईश करवाया जाकर मुटाम लगवाया जाना कानूनन आवश्यक है, जिससे अन्य खसरान के खातेदारों से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो तथा प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की माठ हमेशा के लिए कायम हो सके। प्रार्थीगण द्वारा पैमाईश सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष दिनांक 26/11/2024 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम को प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कृषि भूमि की पैमाईश व सीमाकंन करने हेतु उसी दिन दिनांक 26/11/2024 को आदेश पारित किया गया जिस आदेश की पालना में पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम द्वारा मौके का सीमाकंन करने हेतु मौके पर गये, अप्रार्थीगण द्वारा सीमाकंन नही करने तथा मौके पर विवाद पैदा करने लगे। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाकंन संभव नही होने तथा मौके पर विवाद होने का नोट अंकित कर तहसीलदार सोजत को मूल प्रार्थना पत्र सहित लौटा दिया। उपरोक्त कृषि भूमि पैमाईश सीमाकंन से पूर्व मौके की जांच रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पड़ौसी खातेदारान द्वारा विवाद पैदा करने के कारण मौके पर पैमाईश सीमाकंन नही किया जा सका क्योंकि मौके पर सीमाओं को लेकर आपस में काफी विवाद है मौके पर किसी प्रकार की पत्थरगढी इत्यादि नही की गई है। इसलिए प्रार्थी के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर मुटाम लगवाया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो वो प्रार्थी को प्रदान फरमाई जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि के उतर दिशा की तरफ पड़ौस में हम अप्रार्थीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 360/6298 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि आयी हुई स्थित है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि के सोजत की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि आयी हुई है। अप्रार्थीगण के एक तरफ पड़ौसी रामलाल की दीवार बनी हुई है तथा दूसरी ओर पड़ौसी प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच धोरा पाली वक्त खरीद दिनांक 10/06/2016 से व पूर्व प्रिंसिपल विक्रेता के समय से लगा हुआ है, तथा वक्त रजिस्ट्री उन्होंने माप चौक कर ही हम अप्रार्थीगण को कब्जा सुपुर्द किया। तब से अप्रार्थीगण ही अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थी से कोई धोरा पाली को लेकर विवाद नहीं है, न ही अप्रार्थीगण ने जोर जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की किसी भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण किया है और न ही अतिक्रमण करने को उतारू है, और न ही अप्रार्थीगण ने कभी प्रार्थी के साथ कोई विवाद किया है और प्रार्थी यदि अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन व पत्थर गढ्ढी करवा तारबंदी करवाना चाहता है तो अप्रार्थीगण को कोई उज्ज एतराज नही है, लेकिन प्रार्थी ने केवल अप्रार्थीगण को गलत पक्षकार बनाया है, इसके लिए उसे खसरा नंबर 360/6300 के मूल खसरा नंबर 360, 360/6299, 6299/1 व उससे बने तमाम नये खसरो के खातेदारों व उसके आस पड़ौस के खातेदारों को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाकर मूल खसरा नंबर 360, 360/6299, 6299/1 व उसके चारों पड़ौस की दिशाओं के आस पड़ौस की भूमि का माप चौक सरकारी रेकर्ड के मुटाम से करके सीमाकंन व पत्थर गढ्ढी करवाया जाना चाहिए, ताकि अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि से वंचित नहीं होना पड़े और यह पता चल सके

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कि प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किसने किया है और किस व्यक्ति के पास राजस्व रेकर्ड से अधिक भूमि है, क्योकि अप्रार्थीगण ने नीजि स्तर पर सेटलाईट नक्शे व मशीन से अपनी कृषि भूमि का माप चौक व सुपर इमपोज करवाया है, जिसके तहत स्वयं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 360/6298 रकबा 0.5000 हैक्टर की भूमि रेकर्ड से कम है, जो नक्शा जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का पैमाईश व सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार सोजत के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 ने आरआई व पटवारी सोजत प्रथम को सीमाज्ञान व माप चौक का आदेश दिनांक 26/11/2024 को पारित किया था, जिसकी पालना में आरआई व पटवारी सोजत ने दिनांक 30/12/2024 को मौके पर भी रेकर्ड लेकर उपस्थित हुए थे, माप चौक भी किया, लेकिन मूल खसरा का रकबा एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा में भिन्नता होने के कारण व बंटवाड़ा नही होने व सहखातेदारों की सहमति नही होने के कारण सीमाज्ञान करना असंभव होना पाया तथा मूल खसरा नंबर 360/6298 में बने नये खसरो में संपरिवर्तन होकर पक्का निर्माण किया हुआ होने से व अन्य पड़ौसी खसरा खातेदार भी अनुपातिक कम भूमि लेना नहीं चाह रहे है, इसलिए मौके पर उपस्थित मौतबीर के हस्ताक्षर करवाकर रिपोर्ट पेश कर दी और सीमाकंन नही किंया गया। लेकिन प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त रिपोर्ट को उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है और अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया गया, फिर भी प्रार्थी ने जानबूझकर उक्त पद में गलत व झूठे तथ्यों को बढा चढाकर अंकित किया है यदि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का विवाद या तनाजा किया जाता तो स्वयं उपस्थित नहीं होते और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करते, लेकिन वह स्वयं उपस्थित होकर माप चौक करवाकर हस्ताक्षर किये है, लेकिन अन्य खातेदारों द्वारा माप चौक करने से मना करने व हस्ताक्षर करने से मना किया था हम अप्रार्थीगण द्वारा कतई मना नहीं किया गया, क्योंकि मौके पर हमारी स्वयं की भूमि 3 से 4 एयर कम माप चौक में आ रही है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की कोई भूमि अप्रार्थीगण के पास नहीं आती है और न ही हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया। प्रार्थी ने 20 एयर कृषि भूमि जिससे खरीद की, उसे उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया और न ही उसके मूल खसरा नंबर के अन्य खातेदारों को पक्षकार बनाया और न ही उनके हक हिस्से की भूमि का माप चौक करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्योकि प्रार्थी की कृषि भूमि का मूल खसरा 360/6299 है। यदि कोई कम ज्यादा कृषि भूमि है तो वह अपने मूल खसरे से प्राप्त करता है, जबकि अप्रार्थीगण के मूल खसरा नंबर 360 है। जिससे बने तमाम नये खसरो 360/1 से 360/6 तक के बने खसरो एवं रकबे को पक्षकार बनाया जाकर माप चौक किया जाना था, अन्यथा अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि से उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वंचित किया जाना विधि विरूद्ध है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे और विकल्पेन यदि श्रीमान प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर का सीमाकंन व पत्थर गढ्ढी करवाना चाहते है तो उसके मूल खसरा नंबरान 360/6299 व 360 मूल खसरा से बने तमाम खसरो का माप चौक व सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ्ढी का आदेश प्रदान करावे तो अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

नही है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 04 जवाब प्रा0पत्र पेश करना नहीं चाहने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 ने व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा0पत्र प्रार्थी की मौके पर कम भूमि को अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से प्राप्त कर कब्जा करने की नियत से पेश किया कि है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रिसिंपल विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि प्रार्थी की भूमि कम है, तो प्रार्थी के ख0नं0 360/6300 के मूल खसरा नंबर 360/6299 व 360 से बने तमाम खसरों का माप चौक करवाकर प्राप्त कर सकता है, यदि इस प्रकार किया जाता है, तो अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज नहीं है, अन्यथा प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।
जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 04 द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रा0पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। अप्रार्थीगण सं0 01 से 03 का यह कहना कि ख0नं0 360/6300 के मूल खसरा नंबर 360/6299 व 360 से बने तमाम खसरों का माप चौक कर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जानी चाहिए। इस संबंध में न्यायालय का स्पष्ट मत यह है कि उक्त तमाम खसरों का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी प्रस्तुत प्रा0पत्र के आधार पर किया जाना संभव नहीं है और न ही उक्त खसरान के खातेदार पत्रावली में पक्षकार संयोजित है। यदि कोई खातेदार अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है तो अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6300 रकबा 0.2000 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढ़ी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23/08/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)